भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 548
उत्तर देने की तारीख 23 जुलाई, 2025

उस्मानाबाद में डाकघर

548. श्री अरविंद गणपत सावंत :
श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि धाराशिव (उस्मानाबाद) डाक मंडल सहित अनेक डाकघर और डाक मंडलों के अधिकांश कार्यालय/डाकघर जीर्ण-शीर्ण किराये के भवन में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन्हें कब तक उनके अपने-अपने भवनों में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) महाराष्ट्र के उस्मानाबाद (धाराशिव) डाक मंडल के ऐसे डाकघरों की सूची का ब्यौरा जो अपनी भूमि होने के बावज़ूद किराये के भवनों में कार्य कर रहे हैं;

(ङ) महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूम, वाशी, कलम्ब और मुरम में डाक विभाग के पास भूमि होने के बावज़ूद डाकघर भवन का निर्माण न किए जाने के क्या कारण हैं;

(च) क्या ऐसी स्थिति अतिक्रमण का कारण बन सकती है; और

(छ) सरकार द्वारा ऐसी स्थिति से बचने और डाकघरों के अपने भवनों के निर्माण के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) जी, नहीं। धाराशिव डाक डिवीजन सहित अन्य डाकघर किराये के जीर्ण-शीर्ण भवनों में कार्य नहीं कर रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अपनी भूमि होने के बावजूद किराए के भवनों में कार्य कर रहे उस्मानाबाद (धाराशिव) डाक डिवीजन के डाकघरों की सूची निम्नानुसार है :-

i. रामनगर उप डाकघर, लातूर
ii. भूम उप डाकघर, धाराशिव
iii. किल्लारी उप डाकघर, लातूर
iv. औराद शहाजनी उप डाकघर, लातूर
v. कलम्ब उप डाकघर, धाराशिव
vi. मुरुड उप डाकघर, लातूर
vii. देवनी उप डाकघर, लातूर

(ड.) i. वाशी और मुरम में स्थित डाकघर विभाग के स्वयं के भवन में कार्य कर रहे हैं।

ii. भूम में डाकघर हेतु भवन का निर्माण कार्य जारी है।

iii. कलम्ब में डाकघर हेतु भवन का निर्माण परीक्षणाधीन है।

(च) विभागीय भू-खंडों पर अतिक्रमण रोकने के लिए समुचित देखभाल की जा रही है।

(छ) अतिक्रमण रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

i. जिला प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना।

ii. चाहरदीवारी का निर्माण करना।

iii. नए भवनों का निर्माण प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर करना।

*****